

कार्यालय कलेक्टर  
शाखा-  
18 DEC  
कलेक्टर

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक 2236/2773/2017/1/3.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

कलेक्टर,  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)।

विषय:- 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत सी.पी.सी.टी. एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान कर नियमित वेतनवृद्धियां प्रदाय करने तथा नियमितकरण करने हेतु मार्गदर्शन।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक क्यू./2-ख/स्था./6-2/पीएफ/17/13903, दिनांक 06.11.2017.

विषयांकित संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15.11.1984 के प्रावधान अनुसार प्रकरण में कार्यवाही करें।

*(Handwritten Signature)*

(सी.बी.पड़वार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

500  
18/12/17

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ सी 3-35/84/3/1

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 84

प्रति,

शासन के सम्स्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,  
सम्स्त सभागायुक्त,  
सम्स्त विभागाध्यक्ष,  
सम्स्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- नियत वेतन पर बौर टाइपिंग परीक्षा पास नियुक्त नि0श्रे0लिपिकों  
को मुद्रलेखन परीक्षा से छूट ।

सन्दर्भ :- इस विभाग का दिनांक 29 जनवरी, 1983 का आदेश क्रमांक एफ  
सी 3-1/83/3/1

इस विभाग के उपर्युक्त आदेश का अधिक्रमण करते हुये राज्य शासन  
द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि :-

1- ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जो शासकीय सेवा में सविलियत किये गये  
है या लीधी भरती से नियुक्त किये गये है और जिनकी आयु 40 वर्ष या  
उससे अधिक होगई है या भविष्य में हो जाय, उन्हें हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा  
उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जाय और उनकी नियुक्ति नियमित की जाय ।

2- सविलियत तथा अन्य तदर्थ नि0श्रे0लिपिकों की नियमित संख्या में  
वरिष्ठता, छूट के दिनांक से गिनी जावेगी । जो कर्मचारी एक ही दिनांक  
को छूट प्राप्त करते है उनकी पारस्परिक वरिष्ठता उनकी नियुक्ति के  
दिनांक से गिनी जावेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,  
१) (क) श्रीवास्तव

१ के0एन0 श्रीवास्तव १

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

194

- 2 -

पृ०क्रमांक एफ०सी० ३- 35/84/3/1 भोपाल, दिनांक 15-11-84

प्रतिलिपि :-

- 1- निबंधक, उच्च-न्यायालय, म०प्र० जबलपुर.  
सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.  
सचिव, लोकायुक्त, म०प्र० भोपाल.  
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, म०प्र० भोपाल.

---

- 2- राज्यपाल के सचिव,  
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म०प्र० भोपाल.

---

- 3- अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी संघ/म०प्र० तृतीय वर्ग शासकीय  
कर्मचारी संघ/लघु वेतन कर्मचारी संघ.

---


- 4- मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/उपमंत्री गण.

---

- 5- सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव/समस्त/सा०प्र०वि०.

---

- 6- अवर सचिव स्थापना/अधीक्षणा/अभिलेखणा, म०प्र० सचिवालय  
मुख्य लेखाधिकारी, म०प्र० सचिवालय, भोपाल.

  
अ०प्र०सी० श्रीवास्तव  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग.

एम.सिंह/13/11/84